(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENTS NOTIFICATION NO.गृह(जी)ए(3)-2/2014 Dated.13-7-2015 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA.)

GOVERNMENT of HIMACHAL PRADESH
"DEPARTMENT OF HOME"

No. HOME (G)-A(3)-2/2014 Dated. Shimla-2, the 13th July, 2015

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Proviso to Article 309 of the constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of District Attorney, Class-1(Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

Short, title and commencement. 1.(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh. Prosecution Department, District Attorney Class-I(Gazetted) Recruitment & Promotion Rules,2015.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and savings 2(1) The Himachal Pradesh Prosecution Department District Attorney (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1993 notified vide this Department Notification No.11 R-B(1)1/89 dated 30.9.1993 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub Rule(1)supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

BY ORDER

Chief Secretary(Home) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

(18)

Endorsement No. Home(G)A(3)-1/2014 Dated Shimla-171002, 13th July, 2015

Copy forwarded to:-

1. The Secretary (Finance/Personnel/GAD/Law) to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-171002.
3. The Secretary, H.P. Vidhan Sabha Sabha, Shimla-171004.
4. The Director Prosecution, Himachal Pradesh, Shimla-9.
5. The Controller, Printing & Stationary, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
6. Guard file.

(Mahesh Kumar Bhardwaj)
Under Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh

19

"ANNEXURE-A"

3

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DISTRICT ATTORNEY (CLASS-I-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PROSECUTION, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the post	District Attorney
2.	Number of posts	20 (Twenty) (14 (fourteen) in Directorate of Prosecution, 03(three) in State Vigilance & Anti Corruption Bureau, 01(one) in Vigilance (Headquarters), 01(one) in Police Training College, Daroh) and 01(one) in PWD.
3.	Classification	Class I (Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs.15600-39100 + 7400/- Grade Pay.
5.	Whether 'selection' post or 'non-selection' post	Selection.
6.	Age for direct recruitment	Not applicable
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).	A. Essential qualification(s): Not applicable B. Desirable qualifications(s): Not applicable
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).	Age: Not applicable. Essential qualification: Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

90

10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment basis and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.	100% by promotion.
11	In case of recruitment by promotion, secondment, grade from which promotion/secondment is to be made.	By promotion from amongst the Deputy District Attorneys who possess 04(four) years regular service or regular combined with continuous ad hoc, if any, in the grade.
		A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one tenure in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas. Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. **Explanation I**: For the purpose of proviso I supra the "Term" in Tribal/Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee. **Explanation II:** For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour sub Division. of Chamba District. 3. Dodra Kawar Areas of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

		6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circlels of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circles of Karsog, Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District. (1) In all cases of promotion, the continuous ad hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules. Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad hoc basis) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualified service of at least three years or that prescribed in R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-serviceman recruited under provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Force Personnel (Reservation of Vacancies in HP State Non Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service)Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, ad hoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the ad hoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad hoc service rendered as referred above shall remain unchanged.

23 (7)

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	As required under the law
14.	Essential requirement for a direct recruitment	Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment	Not applicable
16.	Reservation.	The appointment to the Service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination.	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in HP Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18.	Payment of fees	No member of the service shall have the right of private practice. They may, however, be allowed with the special permission of the Legal Remembrancer to prosecute, plead or defend cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies of Himachal Pradesh Government and fee may be charged from them by the State Government. The 2/3rd of the said fees charged by the State Government for conducting civil cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies, shall be paid to the District Attorney concerned.
19.	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public

[signature]

24

		Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

-.-.-.-.-

(28)

(9)

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्याः गृह(जी)ए(3)–2/2014 तारीख शिमला–2, 13 जुलाई 2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में जिला न्यायवादी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी, वर्ग– I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।
	(2)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एल.एल.आर.–बी(1)–1/89 तारीख 30 सितम्बर, 1993 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
	(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा

मुख्य सचिव (गृह),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

26

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला-2 2015

प्रतिलिपिः

1. सचिव कार्मिक/ वित/ विधि विभाग/ सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला- 2.
3. सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-4
4. निदेशक, अभियोजन हिमाचल प्रदेश शिमला -9.
5. उप नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग शिमला-5 को इन्टरनैट के माध्यम से राजपत्र (असाधारण)में प्रकाशन हेतु ।
6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि)हिमाचल प्रदेश सचिवालय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
7. गार्ड फाईल।

(महेश कुमार भारद्वाज)
अवर सचिव (गृह).
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में जिला न्यायवादी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम :	जिला न्यायवादी
2.	पदों की संख्या :	20 (बीस) (14(चौदह) अभियोजन निदेशालय में, 03(तीन) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो में, 01(एक) सतर्कता (मुख्यालय) में, 01 (एक) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, डरोह में और 01(एक) लोक निर्माण विभाग में)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग– I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान :	पे बैंड 15600–39100/– रूपए जमा 7400/– रूपए ग्रेड पे।
5.	'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद :	चयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य अर्हता लागू नहीं। (ख) वाछनीय अर्हता लागू नहीं।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं :	आयु: लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11	प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति की जाएगी :	उप जिला न्यायवादियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । क(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में प्रर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी : परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो : परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा। स्पष्टीकरण I : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधरणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (1)के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:— 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

		7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाल, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रमण देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त,थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1)प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक)प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति, नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी: परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे: परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।

		परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे। **स्पष्टीकरण:** अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फौर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी: परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरचना:	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	लागू नहीं।

31

(15)

15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	लागू नहीं।
16	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18	फीस का संदायः	सेवा के किसी भी सदस्य को प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा। तथापि, उन्हें विधि परामर्शी की विशेष अनुज्ञा से अन्य राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकायों की ओर से मामलों का अभियोजन, अभिवचन और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और उनसे राज्य सरकार द्वारा फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत्त निकायों से, उनकी ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित फीस का दो तिहाई भाग सम्बन्धित जिला न्यायवादी को संदत्त किया जाएगा।
19	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।